लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 159वीं बैठक दिनांक 24 अक्टूबर, 2016 का कार्यवृत्त

उपस्थितिः–

01.	श्री सदाकान्त	अध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 एवं प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0।
02.	डा0 अनूप यादव	उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
03.	श्री उदय राज सिंह	नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
04.	श्री शिव जनम चौधरी	विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन।
05.	श्री अजय कुमार मिश्र	मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, उत्तर प्रदेश।
06.	श्री आशुतोष कुमार राय	अपर जिलाधिकारी (भू0 / अ0), प्रतिनिधि– जिलाधिकारी, लखनऊ।
07.	श्री सी0डी0एस0 यादव	अधीक्षण अभियन्ता, प्रतिनिधि–मुख्य अभियन्ता, जल निगम, लखनऊ।
08.	श्री टी0एच0 रिज़वी	अपर सांख्यिकीय अधिकारी, प्रतिनिधि–महानिदेशक, पर्यटन, उ0प्र0।
09.	श्री सुभाष चन्द्र	अनुसचिव, प्रतिनिधि–विशेष सचिव, वित्त
10.	श्री संजीव कश्यप	वास्तुविद् नियोजक, प्रतिनिधि–आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
11.	श्री इसहाक गुड्डू	सदस्य, ल0वि0प्रा0
12.	श्रीमती मुन्नी पाल	सदस्य, ल0वि0प्रा0
13.	श्री रमेश कुमार 'बाबा'	मा0 पार्षद / सदस्य, ल0वि0प्रा0
14.	श्री सौरभ सिंह 'मोनू'	मा0 पार्षद / सदस्य, ल0वि0प्रा0
15.	श्री सुरेन्द्र सिंह 'राजू गांधी'	मा0 पार्षद / सदस्य, ल0वि0प्रा0

अन्य उपस्थितिः–

16.	श्री अरूण कुमार	सचिव, ल0वि0प्रा0।
17.	श्रीमती सीमा सिंह	अपर सचिव, ल0वि0प्रा0
18.	श्री ओ0पी0 मिश्र	मुख्य अभियन्ता, ल0वि0प्रा0।
19.	श्री जे0एन0 रेड्डी	मुख्य नगर नियोजक, ल0वि0प्रा0
20.	श्री हरी कृष्ण यादव	वित्त नियंत्रक, ल0वि0प्रा0

उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष, ल0वि0प्रा0/प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन तथा उपस्थित सदस्यों के स्वागत एवं औपचारिक परिचय के उपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई।

विषय संख्या : 1 लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 19.08.2016 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

निर्णय : प्राधिकरण की उक्त बैठक में प्रतिभाग करने वाले समस्त सदस्यों को कार्यवृत्त प्रेषित किया गया था। किसी भी सदस्य द्वारा कार्यवृत्त के सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं करायी गयी है। अतः सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

विषय संख्या : 2 लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 19.08.2016 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

निर्णय : प्रस्तुत की गयी अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।

विषय संख्या : 3 शारदा नगर योजना स्थित रतन खण्ड के अन्तर्गत व्यावसायिक भूखण्ड सं0-सी0पी0-6 का भू-उपयोग समूह आवास हेतु परिवर्तित करने के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

विषय संख्या : 4 मानसरोवर योजना सेक्टर-ओ के अन्तर्गत व्यावसायिक भूखण्ड सं0-सी-8 का भू-उपयोग समूह आवास हेतु परिवर्तित करने के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

विषय संख्या : 5 प्राधिकरण की जानकीपुरम् योजना के सेक्टर-एच, पार्ट-3 के तलपट मानचित्र में स्थित स्कूल भूखण्ड पर भवनों के निर्माण के फलस्वरूप इसका भू-उपयोग 'आवासीय' में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण की जानकीपुरम् योजना के सेक्टर-एच, पार्ट-3 के तलपट मानचित्र में ग्राम-पहाड़पुर के निकट मूल तलपट मानचित्र में नियोजित स्कूल भूखण्ड के उपयोग को "आवासीय" में परिवर्तन किये जाने विषयक प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान करते हुए उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-13 के अनुरूप अग्रेतर कार्यवाही का निर्णय लिया गया है।

<u>विषय संख्या : 6</u>

लखनऊ विकास प्राधिकरण में 18–20 वर्ष पुराने 11 अदद् हल्के वाहनों को निष्प्रयोज्य घोषित करने एवं उनके स्थान पर 06 अदद् नये हल्के वाहन क्रय करने के सम्बन्ध में

<u>निर्णय :</u>

सम्यक् विचारोपरान्त लखनऊ विकास प्राधिकरण में 18 से 20 वर्ष पुराने 11 अदद् हल्के वाहनों को निष्प्रयोज्य घोषित करने एवं उनके स्थान पर 06 अदद् नये हल्के वाहन क्रय किये जाने विषयक प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई।

<u>विषय संख्या : 7</u>

प्राधिकरण की कानपुर रोड योजना, शारदा नगर योजना, मानसरोवर योजना में अधिग्रहण से प्रभावित कृषकों के 10X12 वर्गफुट के स्थान पर 12X15 वर्गफुट के चबूतरे आवंटित करने एवं टोकन मनी रू0 1650/– प्रति चबूतरा प्राप्त करने के सम्बन्ध में।

<u>निर्णय :</u>

सम्यक् विचारोपरान्त कानपुर रोड योजना, शारदा नगर योजना, मानसरोवर योजना में अधिग्रहण से प्रभावित कृषकों को 10X12 वर्गफुट के स्थान पर 12X15 वर्गफुट के चबूतरे आवंटित करने एवं टोकन मनी रू0 1650/– प्रति चबूतरा प्राप्त किये जाने विषयक प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

<u>विषय संख्या : 8</u>

श्री लल्लू सिंह यादव, श्री अनार सिंह व अन्य द्वारा संयुक्त रूप से रक्षा खण्ड उद्यान–2, रायबरेली रोड, लखनऊ में आरक्षित समूह आवास भूखण्ड, एकल आवासीय भूखण्ड संख्या–525 एवं स्वीकृत तलपट मानचित्र की सीमा से बाहर सटे खसरा संख्या–1413, 1415 व 1430 ग्राम–हैवतमऊ मवैय्या, लखनऊ को सम्मिलित कर एकीकृत रूप में प्रस्तुत प्रस्तावित/शनन समूह आवासीय भवन के मानचित्र विषयक तलपट मानचित्र के भूखण्ड एवं इससे संलग्न परन्तु तलपट मानचित्र के बाहर के भूखण्डों के अमलगमेशन को अनुमन्य कर समूह आवासीय मानचित्र भवन को स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

<u>निर्णय :</u>

सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

<u>विषय संख्या : 9</u>

मा0 याचिका समिति में विचाराधीन याचिका संख्या–02/या0स0/2015 के आलोक में मोहान रोड योजना अन्तर्गत स्थित ग्राम–कलियाखेड़ा की अर्जित खसरा संख्या–674ख रकबा–0.607 हेक्टेयर मे से क्षेत्रफल 5000 वर्गफीट (0.0464 हेक्टेयर) भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रत्यावेदन पर गुणदोष के आधार पर सम्यक निर्णय लिये जाने के सम्बन्ध में।

<u>निर्णय :</u>

प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा की गई। आवेदक द्वारा ग्राम–कलियाखेड़ा की अर्जित खसरा संख्या–674ख, रकबा–0.607 हे0 में से क्षेत्रफल

–5000 वर्ग फीट (0.0464 हे0) भूमि को अर्जनमुक्त अथवा भूमि दिये जाने का अनुरोध किया गया है, परन्तु उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में हीरालाल पुत्र नोखे ग्रामवासी के नाम संक्रमणीय भूमिधर अकिंत है, जो अनुसूचित जाति के है अनुसूचित जाति की भूमि उच्च वर्ग द्वारा क्रय किया जाना अपराध की श्रेणी में आता है। विधिक रूप से आवेदक/याची का उक्त भूमि पर कोई दावा/अधिकार स्वीकार नहीं किया जा सकता है, जिन व्यक्तियों ने भूमि अर्जन से मुक्ति हेतु आवेदन पत्र दिया है और उनका विधिक स्वामित्व भूमि पर स्थापित नहीं होता तथा उनका LOCUS STANDI भी नहीं है, अतः ऐसे प्रकरणों में आगे कोई कार्यवाही नियमानुसार किया जाना सम्भव नहीं है। तद्नुसार समस्त तथ्यों का उल्लेख करते हुए याची को सूचित कर दिया जाय।

विषय संख्या : 10

अमर शहीद पथ, गोमती नगर विस्तार योजना के अन्तर्गत अधिग्रहीत भूमि के बदले विस्थापित कोटे का लाभ दिये जाने की मांग के क्रम में प्रस्तुत आवेदनों पर विचार किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

प्रस्तुत प्रस्ताव चर्चा की गई। भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा–4 के प्रकाशन से पूर्व जिनके निर्माण पाये गये थे, उन्हें विस्थापित कोटे का लाभ दिया जा चुका है जबकि प्रस्ताव में उल्लिखित आवेदकों का अभियंत्रण खण्ड की आख्यानुसार मौके पर कोई निर्माण नहीं पाया गया, अतः आवेदकों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्रों के क्रम में विस्थापित कोटे का लाभ नहीं दिया जा सकता। सम्यक् विचारोपरान्त उक्त की सूचना आवेदकों को प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये।

विषय संख्या : 11

खसरा संख्या–242, ग्राम–मकखदूमपुर के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

निर्णय :

प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा हुई एवं सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि सम्पूर्ण भूमि में से 70 प्रतिशत भाग याची को एवं अवशेष 30 प्रतिशत भूमि पर प्राधिकरण विकास कार्य कराये और याची से इस आशय का शपथ–पत्र भी प्राप्त कर लिया जाय कि भविष्य में किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न नहीं किया जायेगा।

विषय संख्या : 12

सी0जी0 सिटी में लखनऊ मेट्रो को प्रस्तावित 152.80 एकड़ भूमि में से 147.93 एकड़ भूमि लखनऊ मेट्रो को तथा 4.87 एकड़ भूमि डा0 अम्बेडकर महासभा को उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त सी0जी0 सिटी में लखनऊ मेट्रो को प्रस्तावित 152.80 एकड़ भूमि में से 147 एकड़ भूमि (25.69 एकड़

हरित क्षेत्र एवं 16.49 एकड़ भूमि सड़क एवं ड्रेन आदि सहित) लखनऊ मेट्रों को दिये जाने विषयक प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय संख्या : 13

राज्य शहरी आवास एवं पर्यावास नीति–2014 में नगरों की 'मास रैपिड ट्रान्जिट सिस्टम (एम0आर0टी0एस0) कॉरीडोर्स' के साथ ट्रान्जिट ओरियेन्टेड डेवलपमेन्ट जोन की घोषणा की सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त अमौसी से मुंशीपुलिया तक मेट्रो कॉरीडोर के दोनों ओर न्यूनतम 500 मी0 गहराई तक चिन्हित 'ट्रान्जिट ओरियेन्टेड डेवलपमेन्ट (टीओडी) जोन्स' सीमा विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान करते हुए शासन को संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।

विषय संख्या : 14

बसंतकुंज (आश्रयहीन) योजना के अन्तर्गत अवैध रूप से अध्यासित 308 व्यक्तियों को वर्तमान दर पर भवन आवंटन/विनियमित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त गठित समिति की संस्तुतियों के दृष्टिगत कुल 1006 भवनों में निवसित अवैध अध्यासियों को वर्तमान मूल्य पर विनियमित किये जाने तथा अवशेष 491 मूल आवंटी/इच्छुक आवंटियों हेतु अलग से भवन निर्माण कर उनको प्राथम्किता पर भवन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया।

विषय संख्या : 15

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली–2014 के अन्तर्गत सुनवाई के उपरान्त 71 प्रकरणों के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय :

उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास (भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली–2014 (The Uttar Pradesh Urban Planning and Development (Assessment, Levy and Collection of Land Use Conversion Charge) Rules, 2014) के अन्तर्गत नियोजित कालोनियों में आवासीय भूखण्डों को अन्य भू–उपयोग में परिवर्तित किये जाने की विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित है। इस प्रकरण में उपाध्यक्ष द्वारा तथ्यों की जानकारी दी गई। सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान करते हुए यह निर्णय लिया गया कि उल्लिखित नियनावली के अन्तर्गत कठोरता से प्रक्रिया का पालन करते हुए मेरिट के आधार पर प्रत्येक प्रकरण में सुसंगत नियमों के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा अग्रेतर कार्यवाही की जाय।

विषय संख्या : 16 उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली–2014 के अन्तर्गत नये प्राप्त 258 आवेदन पत्रों पर विचार।

निर्णय : उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास (भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली–2014 (The Uttar Pradesh Urban Planning and Development (Assessment, Levy and Collection of Land Use Conversion Charge) Rules, 2014) के अन्तर्गत नियोजित कालोनियों में आवासीय भूखण्डों को अन्य भू–उपयोग में परिवर्तित किये जाने की विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित है। इस प्रकरण में उपाध्यक्ष द्वारा तथ्यों की जानकारी दी गई। सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि उल्लिखित नियमावली के अन्तर्गत कठोरता से प्रक्रिया का पालन करते हुए मेरिट के आधार पर प्रत्येक प्रकरण में सुसंगत नियमों के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया जाय।

विषय संख्या : 17 भवन निर्माण एवं विकास उपविधि को लखनऊ नगर की समस्त नियोजित कालोनियों में लागू कराने के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा हुई। लखनऊ नगर हेतु प्रचलित भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 में वर्ष 2011 तथा वर्ष 2016 में संशोधन किया गया है, इस प्रकार महायोजना तथा भवन उपविधि में किये गये संशोधन या मानकों के परिवर्तन से इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट या प्राधिकरण द्वारा पूर्व में विकसित एवं वर्तमान में नियोजित कालोनियों में उपविधि या मानको में भिन्नता है। इस प्रकार मानकों में भिन्नता के कारण भवन मानचित्रों की स्वीकृति में प्राधिकरण के समक्ष कठिनाईयाँ उत्पन्न हो रही है, अतः कठिनाईयों को सरलीकृत किये जाने हेतु भवन निर्माण एवं विकास उपविधि को नियोजित रूप से पूर्व में विकसित पुरानी योजनाओं में भविष्य में होने वाले निर्माणों सहित नगर के समस्त क्षेत्रों में एकरूपता के दृष्टिगत प्रस्तुत प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय संख्या : 18 लखनऊ महायोजना–2031 अनुमोदन के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त लगभग 1050 वर्ग किमी0 के लखनऊ विकास क्षेत्र के सुनियोजित विकास हेतु प्रस्तावित लखनऊ महायोजना–2031 विषयक प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान करते हुए शासन को संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।

विषय संख्या : 19	लखनऊ महायोजना–2031 के अन्तर्गत दर्शित जोनल प्लान्स तैयार किये जाने के सम्बन्ध में।
निर्णय :	लखनऊ महायोजना–2031 के अन्तर्गत प्रदर्शित जोन संख्या–23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 व 31 जोनल प्लान तैयार किये जाने विषयक प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
विषय संख्या : 20	खसरा संख्या–1040, 1041, 1044, 1045 एवं 1046 ग्राम–औरंगाबाद जागीर, तहसील–सरोजनीनगर, जिला–लखनऊ का भू–उपयोग ग्रीन (पी–1) से व्यावसायिक (पेट्रोल पम्प) में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।
निर्णय :	सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि प्रकरण में सचिव, ल0वि0प्रा0 की अध्यक्षता में एक टेक्निकल कमेटी का गठन करने के निर्देश दिये गये, जिसमें मुख्य नगर नियोजक एवं मुख्य अभियन्ता, सदस्य होंगे। उक्त समिति की संस्तुतियाँ आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत की जाय।
विषय संख्या : 21	डा0 रश्मि पाण्डेय, शम्भावी शिक्षा समिति को आवंटित विजयंत खण्ड–1, गोमती नगर में आवंटित भूखण्ड पर इण्टर कालेज खोलने हेतु मानचित्र स्वीकृति किये जाने के सम्बन्ध में।
निर्णय :	डा0 रश्मि पाण्डेय, शम्भावी शिक्षा समिति को प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2002 में विजयन्त खण्ड–1, गोमती नगर, लखनऊ में क्षेत्रफल 4636 वर्गमी0 का शैक्षणिक भूखण्ड आवंटित किया गया था, जो 09 मी0 चौड़े सम्पर्क मार्ग पर स्थित है। डा0 पाण्डेय द्वारा प्राइमरी स्कूल के स्थान पर इण्टरमीडिएट स्कूल संचालन की अनुमति हेतु अनुरोध किया गया है, जबकि नियमानुसार इण्टरमीडिएट स्कूल के संचालन हेतु 18मी0 चौड़े सम्पर्क मार्ग का होना आवश्यक है। सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि चूंकि शैक्षणिक कार्य हेतु सम्बन्धित संस्था को मानक के अनुरूप भूखण्ड आवंटित है और उक्त भूखण्ड के चारों ओर पहुंच मार्ग उपलब्ध है, जिससे जन–सामान्य को प्रवेश एवं निकास में कोई असुविधा दृष्टिगोचर नहीं होती है और शैक्षणिक कार्य होने के कारण यह एक सामाजिक बाध्यता है, अतः इसे अन्य प्रकरणों

में दृष्टांत न बनाये जाने के प्रतिबन्ध के साथ प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय संख्या : 22 श्री राम निवास मौर्य एवं श्री सुनील कुमार यादव, संविदा वाहन चालक को न्यूनतम वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

विषय संख्या : 23 नेहरू इन्क्लेव, गोमती नगर योजना, लखनऊ में आवंटित भूखण्ड संख्या–सी–4 के बदले गोमती नगर/गोमती नगर विस्तार योजना की अन्य विकसित स्कीम में भूखण्ड आवंटित करने के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया एवं इसी प्रकार समान प्रकृति के श्री द्विवेदी के प्रकरण का भी गुण–दोष के आधार पर परीक्षण कर निस्तारित कराये जाने के निर्देश दिये गये।

विषय संख्या : 24 श्रीमती सरला माथुर व श्री मुदित माथुर, फ्लैट संख्या–वाईएन/703/एम, 3 बीएचके टाइप–2, यमुना अपार्टमेन्ट, रिवर व्यू इन्क्लेव, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ का मूल्य निर्धारण के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि प्रकरण में सचिव, ल0वि0प्रा0 की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर लिया जाय, जिसमें वित्त नियंत्रक, सदस्य एवं योजना के संयुक्त सचिव सदस्य/संयोजक होंगे। समिति की संस्तुति/आख्या के आधार पर पुनः सुविचारित प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

विषय संख्या : 25 लखनऊ विकास प्राधिकरण की आवासीय सम्पत्तियों के पंजीकरण एवं आवंटन की प्रक्रिया 2016 के सम्बन्ध में

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

विषय संख्या : 26 प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में व्यवसायिक दुकानों/शापिंग काम्पलेक्स में हाल के विक्रय मूल्य को छः माह के लिए फ्रीज किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

विषय संख्या : 27 पूर्व स्वीकृत कास्टिंग गाइड लाइन के स्थान पर नवीन कास्टिंग गाइड लाइन को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक समाप्त हुई।

(अरूण कुमार)
सचिव

(डा0 अनूप यादव)
उपाध्यक्ष

अनुमोदित

(सदाकान्त) 2/11/16
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण,
एवं प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,
उ0प्र0 शासन, लखनऊ।